



HAMIRPUR POLICE



METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

“प्रभावी पैरवी कर एनडीपीएस एक्ट में अभियुक्त को 04 माह के कारावास व ₹5000 के अर्थदंड की सजा दिलाई गई।”



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा0 न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना मुस्करा में पंजीकृत मु0अ0सं0- 154/2017 धारा-18/20 एनडीपीएस एक्ट में सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में मा0 न्यायालय स्पेशल जज ईसी एक्ट/गैंगस्टर एक्ट कोर्ट जनपद हमीरपुर द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर अभियुक्तगण 1. प्रदीप राजपूत पुत्र उदयभान निवासी-बल्लाय थाना खरेला जनपद महोबा को दोषसिद्ध करते हुए 04 माह का कारावास व ₹5000 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



अभियोजक-
एडीजीसी श्री प्रवीण
कुमार भदौरिया



विवेचक-
उ0नि0 दिलीप
कुमार यादव



पैरोकार- थाना मुस्करा
हे0का0 ज्ञानेन्द्र कुमार